रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2010/आषाढ़ 23, 1932
No. 175] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2010/ASADHA 23, 1932

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2010

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दसवां संशोधन) विनियम, 2010

(2010 का संख्यांक 3)

फा. सं. 5–4/2000–प्र. एवं. का.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दसवां संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) की अनुसूची I में,—

(क) प्रधान सलाहकार के पद के सम्मुख, "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्ष के अंतर्गत–

(I) प्रविष्टि (ii) में, "छह वर्ष की नियमित सेवा" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष की नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(iii) समूह क में इक्कीस वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले समूह क अधिकारी, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा एसएजी में होगी";

(ख) सलाहकार के पद के सम्मुख, "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्ष के अंतर्गत–

(I) प्रविष्टि (ii) में, "छह वर्ष की नियमित सेवा" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष की नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(iii) समूह क में सत्रह वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले समूह क अधिकारी, जिसमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा प्रवरण ग्रेड में होगी";

(ग) संयुक्त सलाहकार के पद के सम्मुख, "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्ष के अंतर्गत–

(I) प्रविष्टि (ii) में, "पांच वर्ष की नियमित सेवा" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष की नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(iii) समूह क में बारह वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले समूह क अधिकारी, जिसमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होगी";

(घ) उप सलाहकार के पद के सम्मुख, "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्ष के अंतर्गत–

(I) प्रविष्टि (ii) में, "उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा अथवा" शब्दों के स्थान पर "उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) का लोप किया जाएगा;

(ङ) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के सम्मुख, "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्ष के अंतर्गत प्रविष्टि (ii) में, "अनुभाग अधिकारी अथवा समकक्ष के ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा अथवा कनिष्ठ समय मान/अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर 7 वर्ष की संयुक्त सेवा" शब्दों, अंकों और संख्याओं के स्थान पर "अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में अथवा किसी अन्य समकक्ष अथवा उच्चतर ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा" शब्द, अंक और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

एम. एस. सीतारामन, सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)

[विज्ञापन III/4/142/10-असा.]

टिप्पणी :—प्रधान विनियम संख्या 5-4/2000 (प्र. एवं वि.) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा इनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए :–

पहला	1-6/2002-प्र. एवं वि., दिनांक 22 जनवरी, 2004
दूसरा	5-4/2000-प्र. एवं वि. (खण्ड-I), दिनांक 11 मई, 2004
तीसरा	5-4/2000-प्र. एवं वि. (खण्ड-II), दिनांक 17 जून, 2004
चौथा	5-4/2000-प्र. एवं का. (खण्ड-II), दिनांक 10 मई, 2005
पांचवां	5-4/2000-प्र. एवं का. (खण्ड-II), दिनांक 26 मई, 2006
छठा	5-4/2000-प्र. एवं का. (खण्ड-II), दिनांक 9 अक्तूबर, 2006
सातवां	5-4/2000-प्र. एवं का., दिनांक 31 दिसम्बर, 2008
आठवां	5-2/2005-प्र. एवं का., दिनांक 20 मार्च, 2009
नौवां	5-4/2000-प्र. एवं का., दिनांक 23 अप्रैल, 2010

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2010

The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Tenth Amendment) Regulations, 2010

(No. 3 of 2010)

F. No. 5-4/2000-A&P.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 and sub-section (1) of Section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), namely :—

1. (1) These regulations may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Tenth Amendment) Regulations, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulaltion, 2001 (2 of 2001),—

(a) against the post of Principal Advisor, under the heading "Qualification and experience for deputation"—

(I) in entry (ii) for the words "six years of regular service", the words "three years of regular service" shall be substituted;

(II) for entry (iii), the following entry shall be substituted, namely :—

"(iii) Group A officers having twenty-one years of regular service in Group A of which at least three years of regular service shall be in the SAG";

(b) against the post of Advisor, under the heading "Qualification and experience for deputation"—

(I) in entry (ii) for the words "six years of regular service", the words "four years of regular service" shall be substituted;

(II) for entry (iii), the following entry shall be substituted, namely :—

"(iii) Group A officers having seventeen years of regular service in Group A of which at least four years of regular service shall be in the Selection Grade";

(c) against the post of Joint Advisor, under the heading "Qualification and experience for deputation"—

(I) in entry (ii) for the words "five years of regular service", the words "four years of regular service" shall be substituted;

(II) for entry (iii), the following entry shall be substituted, namely :—

"(iii) Group A officers having twelve years of regular service in Group A of which at least four years of regular service shall be in the Junior Administrative Grade";

(d) against the post of Deputy Advisor, under the heading "Qualification and experience for deputation"—

(I) in entry (ii) for the words "five years of regular service in that grade or", the words "four years of regular service in that grade" shall be substituted;

(II) entry (iii), shall be deleted;

(e) against the post of Senior Research Officer, under the heading "Qualification and experience for deputation", in entry (ii), for the words "7 years of regular servce in the grades of Section Officer or equivalent or 7 years of combined service on regular basis in the Junior Time Scale/Section Officer's grade", the words "7 years of regular service in the grade of Section Officer or any other equivalent or higher grade" shall be substituted.

M. S. SEETHARAMAN, Advisor (A&P)

[ADVT. III/4/142/10-Exty.]

Note :—The principal regulations were published *vide* No. 5-4/2000 (A&L), dated 15th February, 2001 and amended *vide* :—

(i) 1-6/2002-A & L, dated 22nd January, 2004

(ii) 5-4/2000-A & L (Vol. I), dated 11th May, 2004

(iii) 5-4/2000-A & L (Vol. II), dated 17th June, 2004

(iv) 5-4/2000-A & P (Vol. II), dated 10th May, 2005

(v) 5-4/2000-A & P (Vol. II), dated 26th May, 2006

(vi) 5-4/2000-A & P (Vol. II), dated 9th October, 2006

(vii) 5-4/2000-A & P, dated 31st December, 2008

(viii) 5-2/2005-A & P, dated 20th March, 2009

(ix) 5-4/2000-A & P, dated 23rd April, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.